निगरानी /कोलो/1529/ 2005/ जैसलमेर
कानाराम बनाम सरकार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
19-05-2025	**एकल–पीठ** **श्री मदनलाल नेहरा, सदस्य** **उपस्थित :** श्री के.के.पुरोहित, अभिभाषक प्रार्थी। श्री एस.एन.बेनीवाल, अति0 राजकीय अभिभाषक **आदेश** 1. यह निगरानी अंतर्गत नियम 23(2) राजस्थान उपनिवेशन (इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एंव विक्रय) नियम, 1975 न्यायालय अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील प्राधिकारी जैसलमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 17–1–05 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। 2. निगरानी प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि तहसीलदार उप निवेशन नाचना नंबर–1 ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 23(2) के तहत न्यायालय अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील प्राधिकारी जैसलमेर के यहां प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी को दिनांक 4–8–99 को राजस्थान उपनिवेशन (इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एंव विक्रय) नियम, 1975 के तहत चक नंबर 4–5 के.डब्ल्यू.डी. के मुरब्बा नंबर 66/08 में 22 बीघा अनकमांड भूमि का आवंटन किया गया। प्रार्थी का मुख्य धन्धा कृषि न होकर मजदूरी है तथा प्रार्थी के पिता ने आवंटन से पहले पोकरण में 37.10 बीघा भूमि बेचान की है तथा शेष 3 बीघा बारानी भूमि में पिता व 5 भाई है। वह सद्भावी कृषक नहीं होने से उसे किया गया आवंटन निरस्त किया जावे। अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील प्राधिकारी जैसलमेर ने निर्णय दिनांक 17–1–05 से प्रार्थी का आवंटन खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को विश्वसनीय मानते हुये धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाकर निगरानी प्रस्तुत करने में हुई देरी को कंडोन किया जाता है। 3. विद्वान अभिभाषक प्रार्थी के अभिभाषक ने निगरानी प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये बहस में कहा कि प्रार्थी पेशे से सद्भावी कृषक है। सद्भावी कृषक का मुख्य स्त्रोत कृषि होना चाहिये न कि केवल मात्र कृषि। इस तथ्य की जांच साक्ष्य लेकर की जा सकती है कि प्रार्थी का मुख्या धंधा कृषि है अथवा अन्य। प्रार्थी की आय का मुख्य स्त्रोत खेती ही है तथा मानसून न होने पर प्रार्थी अपने परिवार का लालन पोषण के लिये मजदूरी करता है, जो परिवार के पालन पोषण के लिये आवश्यक है। किंतु इस तथ्य की जांच न कर प्रार्थी को सद्भावी कृषक नहीं मानने में अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटि की है। सद्भावी कृषक के सम्बंध में सबूत एवं साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध है, जिसका अवलोकन अधीनस्थ न्यायालय ने नहीं किया। प्रार्थी के उपस्थित नहीं होने पर स्वतः ही यह निष्कर्ष निकाला	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	कि प्रार्थी सद्भावी कृषक नहीं है। जबकि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत सद्भावी कृषक का प्रमाण पत्र पत्रावली पर उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में सद्भावी कृषक होने का अन्य प्रमाण प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं थी। प्रार्थी सद्भावी कृषक है अथवा नहीं, इसे साबित करने का भार अप्रार्थी का था, जिसे प्रार्थी पर डालने में अधीनस्थ न्यायालय ने भूल की है। प्रार्थी को 22 बीघा अनकमाण्ड भूमि आवंटित हुई है और कानूनन वह 50 बीघा अनकमाण्ड भूमि आवंटित करवाने का अधिकारी एवं पात्रता रखता है। उसके पिता द्वारा 37.10 बीघा भूमि के बेचान का प्रश्न है वह उनकी स्वअर्जित संपत्ति थी तथा उनके जीवनकाल में उनके वारिस अथवा प्रार्थी को उस पर कोई हक नहीं बनता। यदि हिस्सा मान भी लिया जावे तो प्रार्थी को मात्र 22 बीघा अनकमाण्ड भूमि ही आवंटित हुई है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश प्रार्थी के अधिवक्ता की अनुपस्थिति में बिना सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये पारित किया गया है। अभिभाषक के उपस्थित नहीं होने की सजा प्रार्थी को नहीं दी जानी चाहिये। केवल तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का आवंटन खारिज किया है। आवंटन निरस्तीकरण के तथ्यों की जांच नहीं की गई तथा प्रार्थी द्वारा आवंटन शर्तो का उल्लंधन किया गया हो यह भी परिलक्षित नहीं है। किंतु अधीनस्थ न्यायालय ने तथ्यों को तोडमरोड कर उसे सद्भावी कृषक नहीं मानकर गलत तरीके से प्रार्थी को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना उसका आवंटन विधि विरूद्ध निरस्त किया है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर प्रार्थी का आवंटन आदेश बहाल रखा जावे। 4. उपरोक्त तर्को का विरोध करते हुये विद्वान अति0 राजकीय अभिभाषक ने कहा कि प्रार्थी का पेशा कृषक न होकर अन्य मजदूरी करना है। प्रार्थी को आवंटन गलत तरीके से किया गया था। ऐसी स्थिति में उसका आवंटन निरस्त किया गया है। जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। अतः निगरानी खारिज की जावे। 5. उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। 6. पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि तहसीलदार उप निवेशन नाचना नंबर–1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 23(2) न्यायालय अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील प्राधिकारी जैसलमेर ने अपने आलोच्य आदेश दिनांक 17–1–05 द्वारा स्वीकार कर प्रार्थी को राजस्थान उपनिवेशन (इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एंव विक्रय) नियम, 1975 के तहत चक नंबर 4–5 के.डब्ल्यू.डी. के मुरब्बा नंबर 66/08 में 22 बीघा अनकमांड भूमि का किया गया आवंटन दिनांक 4–8–99 निरस्त किये जाने के विरूद्ध यह निगरानी मंडल में प्रस्तुत की गई है। 7. अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के अवलोकन से स्पष्ट है कि उनके द्वारा केवल तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का आवंटन निरस्त किया है। तहसीलदार द्वारा अंकित किसी भी बिन्दु को अधीनस्थ न्यायालय में न तो साबित कराया है एवं ना ही इस सम्बंध में कोई जांच	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	की गई है तथा प्रार्थी के अधिवक्ता की अनुपस्थिति में आलोच्य निर्णय पारित किया है। तहसीलदार द्वारा अपनी रिपोर्ट में प्रार्थी का आवंटन निरस्त कराने हेतु तीन बिन्दु अंकित किये थे, प्रथमतः प्रार्थी का मुख्य व्यवसाय कृषि है अथवा नहीं, द्वितीय– सद्भावी कृषक है अथवा नहीं तथा तृतीय उसके पिता के पास आवंटन से पहले मौजूद 37.10 बीघा भूमि का बेचान की गई भूमि स्वअर्जित है अथवा नहीं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य निर्णय में उक्त तीनों बिन्दुओं के प्रमाणित करवाने का अभाव है तथा तहसीलदार द्वारा उक्त तीनों बिन्दुओं पर ही प्रार्थी का आवंटन निरस्त करने का निवेदन किया था। तहसीदार द्वारा भी उक्त सम्बंध में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे उक्त तीनों तथ्यों की पुष्टि होती हो। राजस्थान उपनिवेशन (इंदिरा गांधी नहर परियोजना में सरकारी भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के तहत कृषि श्रमिक को भी भूमिहीन की श्रेणी में परिभाषित किया गया है। अतः अप्रार्थी को भूमिहीन मानकर ही नियमों के तहत आवंटन किया है तथा खेतीहर मजदूर क रूप में वह आवंटन की पात्रता रखता है। प्रार्थना पत्र में आवटंन आदेश पत्रावली में शामिल नहीं होने का उल्लेख है जबकि उपायुक्त उपनिवेशन आईजीएनपी नाचना के प्रकरण संख्या 7435/94 की डूप्लीकेट पत्रावली में आवंटन आदेश की सत्य प्रतिलिपि शामिल है। मूल पत्रावली का रिकार्ड जलना उपायुक्त उपनिवेशन नाचना ने अपने पत्रांक दिनांक 20–7–2023 से अवगत कराया गया। ऐसी स्थिति में न्यायालय अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील प्राधिकारी जैसलमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17–1–05 विधिसम्मत् नहीं होने से खारिज योग्य है। 8. परिणामतः हस्तगत् निगरानी आंशिक स्वीकार की जाकर न्यायालय अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील प्राधिकारी जैसलमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17–1–05 निरस्त किया जाता है। न्यायालय अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील प्राधिकारी जैसलमेर को प्रकरण प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि पैरा सं. 7 में दिये गये अभिमत अनुसार प्रार्थी को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुये प्रार्थी सद्भावी कृषक है अथवा नही तथा उसका मुख्य व्यवसाय कृषि है अथवा नहीं, के तथ्यों की जांच कर पुनः विधिसम्मत् निर्णय पारित करें। पत्रावली बाद फैसल शुमार तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावे। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(मदनलाल नेहरा)** **सदस्य**	